IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मानवाधिकारी के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य – मुस्लिम महिलाओ के सन्दर्भ में ''इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार''

Asma Hussain, Research scholar,Department of Political science,M.M.H college Ghaziabad up affiliated to Chaudhry charan singh university Meerut Uttar Pradesh

कुरआन शरीफ में लिखा है कि औरत प्रकृति की सबसे कोमल रचनाओं में से एक है।

इस्लाम पर आधारित मुस्लिम समाज एक ईश्वर की सन्तान जनित होने के कारण समानता, समता, परस्पर सहभागिता व समान न्याय व्यवस्था ही है.

इस्लाम के अन्तर्गत महिला एवं पुरुष अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं है।

इस्लाम के मूलाधार 'कुरआन' में अंकित ईश्वरीय आदेश (अहकाम–ए–खुदा) व शरीअत के अनुरूप महिलाओं को पुरुष वर्ग जो समान पूर्ण वैचारिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। महिलाओं को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि पुरुषों के समान सांसारिक व पारलौकिक, धर्म एवं अध्यात्मवाद जैसे सन्दर्भों में शरीअत की मार्यादाओं के अनुकूल अपने विचार व राय देने का पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार इस्लाम के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते है कि मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार है कि यदि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक मसलों पर पुरुष के विचार उचित न हों तो वे उसका विरोध कर सकती है। 1. इस्लाम के अन्तर्गत पुरूष व महिला दोनों के लिये 'काफा' (समान) शब्द प्रयुक्त किया गया है। 2. यह इस तथ्य का द्योतक है कि इस्लाम में महिला एवं पुरूष में किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया। इसी प्रकार हजरत उमर (धार्मिक पैगम्बर) का कथन है, जिसका उल्लेख इस्लाम की हदीस बुखारी–शरीफ में मिलता है कि 'हम लोग (पुरूष) अहद–ए–जिहालत में औरतों को कोई चीज नहीं समझते थे। जब इस्लाम का जहूर (प्रादुर्भाव) हुआ और अल्लाहताला (ईश्वर) ने औरतों का जिक्र किया, तब हमने समझा कि हम पर औरत का क्या हक है। 3. हजरत मुहम्मद साहब का कथन है कि– 'औरतें तुम्हारे लिये सरमाया–ए–सुकून है. इसलिये इनकी ख्वाहिशात (इच्छाओं) का ध्यान रखो, उन्हें इज्जत बख्शों. जब तुम खाओं, तो उन्हें भी खिलाओं, जब तुम कपड़ा पहनों तो उसको भी पहनाओं। उसके चहरे पर न मारो और न ही उसे बुरा–भला कहो।''

इस्लाम को लेकर यह गलतफहमी है और फैलायी जाती है कि इस्लाम में औरतों को कमतर समझा जाता है। सच्चाई इससे उलट है। अगर इस्लाम व कुरआन का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस्लाम ने औरत को चौदह सौ साल पहले वह मुकाम दिया है जो आज के कानूनदाँ भी उसे नहीं दे पायें।

इस्लाम में जन्म से लेकर उसकी पूरी उमर तक अधिकार ही अधिकार दिये गये हैं।

जीने का अधिकार–शायद आप सभी को हैरत हो कि इस्लाम में साढ़े चौदह सौ साल पहले स्त्री को दुनिया में आने के साथ ही अधिकारों की शुरुआत कर दी और उसे जीने का हक दिया।

और जब जिन्दां गाड़ी गई लड़की से पूछा जायेगा, बता तू किस अपराध के लिये मार दी गई। (कुरआन, 8.8.9)7

यही नहीं कुरआन में उन माँ बाप को भी डाँटा गया है जो बेटी के पैदा होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। 'और जब इनमें से किसी को बेटी की पैदाइश का समाचार सुनाया जाता है तो उसका चेहरा स्याह पढ़ जाता है और व दुःखी हो जाता है। इस बुरी खबर के कारण वह लोगों से अपना मुँह छिपाये फिरता है। सोचता है कि वह इसे अपमान सहने के लिये जिन्दा रखे या फिर जीवित दफन कर दे? कैसे बुरे फैसले हैं जो ये लोग करते है। (कुरआन,) 16:58–597

इस्लाम में बेटी का दर्जा बेटी के अधिकार

पैगम्बर मुहम्मद सल्ले अ0 ब0 ने फरमाया 'बेटी होने पर जो उसे जिन्दा नहीं गाड़ेगा (यानि जीने का अधिकार देगा) व अपमानित नहीं करेगा, और अपने बेटे को बेटी पर तरजीह नहीं देगा तो अल्ला ऐसे शख्स को जन्नत देगा। जो कोई दो बेटिया प्रेम तथा न्याय के साथ पाले यहाँ तक की वह बालिग हो जाये तो वह व्यक्ति मेरे साथ स्वर्ग में जायेगा – आपने अपनी उंगलियाँ गिनाकर बताया। मुहम्मद सल्ले अ0 ब0 ने बताया कि जिसके तीन बेटियाँ या तीन बहने या दो बेटियां या दो बहने हो और वह उनकी अच्छी परवरिश और देखभाल करें और उनके मामले में अल्लाह से डरे तो उस शख्स के लिए जन्नत है। (तिरमिजी बेटी का इस्लाम में सरमाया सूकून बताया गया है। जिस घर में बेटी होती है वे घर बहुत खुशनसीब होता है। इसीलिये इस्लाम में बेटी की परवरिश में कोई कमी न करने का हुक्म दिया गया है।

विवाह के समय महिलाओं को प्राप्त प्रमुख अधिकार।

इस्लामिक कानून व शरीअत के अन्तर्गत किसी (पिता–संरक्षक) को यह अधिकार नहीं है कि बालिग कन्या का विवार उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरूष के साथ कर दे, यानि विधि शास्त्र तथा शरीअत के नियमानुसार महिलाओं को यह अधिका प्राप्त है कि यह अपना विवाह धार्मिक मर्यादाओं व विधि में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी इच्छा व पसन्द से कर सकती है।

विवाह की आयु के सम्बन्ध में इस्लाम में एक महिला अथया पुरुष बालिग (व्यस्क) होने पर या उसके बाद विवाह की संविद में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार इस्लाम में बाल–विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

एक मुस्लिम कन्या का पिता, पितामह यह कोई अन्य संरक्षक इसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा बालिग होने से पूर्व यदि जसक विवाह कर भी दे तो कन्या या महिला को यह अधिकार है कि वह अपना निकाह रद्द कर दे।

विवाह उपरान्त महिलाओं द्वारा अर्जित अधिकार

विवाह उपरान्त यद्यपि एक मुहिलम महिला पति के प्रति दो अधिकारों से संविदा के तहत सर्शत बन्ध जाती है कि–

1. पति पत्नी के साथ लैंगिक सम्भोग का अधिकारी है।
2. वह अपने पति का घर उसकी अनुमति के बिना नहीं छोड़ेगी।

पति के प्रति मुस्लिम महिला के इन अधिकारों के अतिरिक्त ज्यों ही विवाह सविदा होती है मुस्लिम महिला बहुत से अधिकारों का सृजन करती है, 8 कुरआन द्वारा प्राप्त महिलाओं के इन समस्त अधिकारों का उल्लेख इस प्रकार है–

एक मुस्लिम महिला को पति द्वारा निर्धारित महर, नगद धनराशि, किसी कीमती वस्तु चल व अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त करने का शक्तिशाली अधिकार प्राप्त है–

कुरआन के अनुसार– 'विवाह पर महिलाओं को उनका महर स्वतन्त्र उपहार के रूप में दो।'

''यदि तुमने (पुरुषों) विवाह में या विवाह के उपरान्त पूरा महर पत्नी को दिया था, तो उसका छोटा टुकड़ा भी वापस न लो।'' इस्लाम के प्रार्दुभाव से पूर्व अरब समाज में ऐसी प्रथाएँ अवश्य थी, जब पत्नी को सदक (दान) के रूप में दिया जाता रहा है तथा पत्नी के संरक्षक अथवा माता–पिता महर की राशि कन्या मूल्य के रूप में स्वयं ले लेते थे. परनतु हजरत मुहम्मद स०अ०व० साहब ने इस प्रथा में सुधार किया तथा पति द्वारा पत्नी को महर का भुगतान किया जाना अनिवार्य कर

दिया। इस प्रकार विश्व के मानव इतिहास में इस्लाम में सर्वप्रथम महर के रूप में प्रदान धनराशि के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास कर समान स्तर व सम्मान प्रदान किया। महिलाओं के क्रय–विक्रय को अवैध घोषित कर उनका वस्तु के रूप में उपभोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। कुरआन में स्पष्ट आदेश है कि ''महिलाओं के साथ कृपालुता और समानता के साथ रहो।''

महर को सदक, सदाकत, निहलात, अतिया, तथा अक्र भी कहा जाता है। ''महर एक दायित्व है. जो पत्नी के सम्मान व उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पति द्वारा एक दायित्व के रूप में निभाया जाता है। सामान्य व स्वस्थ परम्परा के रूप से महरको निर्धारित धनराशि पति के अनु निर्धारित की जाती है मुस्लिम समाज में तलाक विवादि निवाने हेतु महर एक अहम आधार माना गया। स्वयं पैगम्बर ने अपनी एकमात्र जीवित पुत्री फातिमा को विवा दिरहम तय–गुवा महर पर हजरत अली को दिया था. मुख मुसिलम विज्ञान इसे महर की निम्नतम सीमा मानते है तथा कुछ विद्वा इसे अधिकतम भाको रूप में स्पष्ट करते हैं। महार का सिधोरण प्रस्थिति प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रकार कुरोधान के अनुस पुरुष वर्ग को आदेनित किया गया कि वह हर बाधा नहीं कर सकता साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि षुरुष को चाहिए कि वह नहर की अदायगीपूर्ण खुशदिली से करें। यदि किनी कारणवश कोई पुरुष अपनी पत्नी से अलग रहना चा है तो भी यह आवश्यक है कि वह पत्नी की गहर व उसकी आवश्यकता का समस्त समान दे दें। क्योंकि नाहका (मरण–पोषण) व दायित्व पुरुष पर वाजिब है।

भोजन, वस्त्र तथा पत्नी के लिये रहने का भवन देना पति पर आबद्ध कर होता है।''

''फिकह कुरआन व हदीस के आधार पर धार शर्ते पति के लिये अनिवार्य हैं जो उसे पानी को प्रदान करनी है–

1. पति, पत्नी को ऐला मकान दे जो उसकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो।
2. उस मकान में यह सब चीजें हो जो शरञ्जन (नियमानुसार) पत्नी के लिये आवश्यक है।
3. पत्नी के लिये मकान ऐसा हो जहाँ यह सन्तुष्ट रह सके।
4. जो भवन पत्नी के रहने के लिये दिया गया है, वह उसके लिये मखसूस (सुरक्षित) होना चाहिए।''

एक मुस्लिम पत्नी घर का कार्य करने से इनकार करने का अधिकार भी रखती है। यदि पत्नी पति द्वारा यात्रा पर ले जाई जाती है तो पत्नी, पति से व्यय पाने का अधिकार रखती है।

यदि पति पत्नी के भरण–पोषण की व्यवस्था नहीं करता है तो पत्नी उसकी अनुमति के बिना, पति की सम्पत्ति से व्यय निकाल सकती है, यदि यह भी सम्भव नहीं है तो वह पति की आज्ञा के बिना अपनी आजीविका अर्जन करते हुए बाध्यकर है तथा ऐसी स्थिति में पत्नी के लिये यह भी बाध्यकर नहीं होगा कि वह अपने पत्ति की आज्ञा माने जबकि वह स्वंय आजीविका अर्जित कर रही है।

यदि पुरुष के एक से अधिक पत्नी है तो कुरआन–ए–मजीद के अनुसार पति का फर्ज (दायित्व) है कि वह सभी पत्नियों साथ सहज व समान व्यवहार करे तथा बराबर का समय दोनों के साथ व्यतीत करे।'

इस बात से स्पष्ट है कि इस्लाम बहु–पत्नी प्रथा को मान्यता प्रदान करता है. इस सन्दर्भ में हजरत मुहम्मद स०अ०व० का कथन है कि श्यदि तुम एक से अधिक विवाह करना चाहते हो तो पहले यह जान लो कि अपनी सभी पत्नियों के समान सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा, भरण–पोषण, समान व्यवहार एवं न्याय प्रदान कर सकते हो अथवा नहीं। यदि सभी पत्नियों को समान हक (अधिकार) दे सकते हो तभी तुम्हारे एक से अधिक विवाह जायज हैं।ष उक्त सन्दर्भों के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस्लाम के अन्तर्गत महिलाओं को पुरुषों की भांति विवाह व दाम्पत्य सम्बन्धी बराबरी के अधिकार प्राप्त हैं। इस्लाम संगठित व कल्याणकारी समाज के निर्माण पर बल देता है इसी कारण इस्लाम पारिवारिक जीवन की सुदृढ़ता हेतु महिला एवं पुरुष दोनों का समान स्तर और सुःख प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है तथा इस्लाम की मान्यता है कि पति–पत्नी के रूप में महिला व पुरुष दोनों का यह कर्तव्य है कि वे एक–दूसरे द्वारा किये जा रहे सेसा कार्य में हाथ बटाएँ।

पत्नी के रूप में महिला की अभिरक्षा करना पति का दायित्व है इसी कारण उसे पत्नी का संरक्षक माना गया, संरक्षक के रूप में पति को यह अधिकार है कि वह गल्ती करने पर पत्नी का सुधार करे, किन्तु इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि उसके साथ बर्बर व क्रूरतापूर्ण व्यवहार करे।

माँ के रूप में औरत के अधिकार

कुरआन में अल्लाह ने माता पिता के साथ बेहतर व्यवहार करने का आदेश दिया है।

तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें आदेश दिया कि उसके सिवा किसी की पूजा न करो और अपने माता पिता के साथ बेहतरीन हर यदि उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे पास ही तो उनसे 'उफ्फ तक न कहो, बल्कि उनसे करूणा के शब्द कही ऐ हमारे पालनहार उनपर दया करो, जैसे उन्होंने दया के साथ बचपन में मेरी परवरिश की थीश (गुरमान–1723–24)

17. इस्लाम में भी का स्थान पिता से भी जैसा है। पैगम्बर हजरत मुहम्मद ने कहा–

यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें एक साथ पुकारे ती पहले मी की पुकार कर जवाब दो। एक बार एक बाक्ति ने हजरत मुहम्मद से पुछा पैगम्बर मुझपर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है?'

उन्होंने जवाब दिया– 'तुम्हारी माँ का'

फिर किसका? उत्तर मिला – 'तुम्हारी माँ का।

फिर किसका? उत्तर मिला – 'तुम्हारी माँ का।

उस व्यक्ति के चौथी बार पूछने पर कि फिर किसका? उत्तर मिला तुम्हारे पिता का।'

18. इससे यह साबित होता है कि उसकी औलाद उसकी अच्छे से देखभाल करे। उसके सारे हुकूक को अदा करे।

जायदाद में औरतों का अधिकार इस्लाम की नजर में

इस्लाम में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दोनों को समान माना है। औरत मर्द दोनों समान है इसीलिए जायदाद में पुरुष के साथ–साथ महिला को भी हिस्सा देने का प्रावधान कुरआन में किया गया है। एक की आधा हिस्सा अगर वो हैं। 2/5 मिलेगा ये प्रावधान कुरआन में लड़कियों को बाप की जायदाद में हिस्सा के लिये किया गया है। 19 हजरत मुहम्मद स०अ०व० तो. यह तक फरमाया है कि अगर वालिदेन अपनी सभी औलाद लड़का और लड़की में जायदाद के बटवारे में भेदभाव किया तो ऐ वालदेन पर लानत है। जिससे यह साबित होता है कि मां–बाप की जायदाद पर लड़का लड़की दोनों का अधिकार है और अगर क लड़की को उसका हक न दे तो कुरआन हदीस की रोशनी में यह अपना हक माँग सकता है। 20 इसके साथ साथ अगर किसी औरत शौहर की मौत हो जाये तो शौहर के बाद उसकी सम्पत्ति पर बीवी का ही अधिकार होता है। यहीं तक की अगर बीवी के पास सम्पत्ति तो उसपर केवल उसी का अधिकार है उसके शौहर का भी नहीं। ऐसा करके इस्लाम ने औरत को आर्थिक रूप से शशक्त करने का क किया है।

उपरोक्त सभी बातों का विश्लेशण करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि इस्लाम धर्म शायद विश्व का पहल धर्म है जिसने महिला को इतने ज्यादा अधिकार प्रदान किये हैं। कि उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर लाने का पूरा प्रयास है।

जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो यह प्रश्न हमेशा उठता है कि मुस्लिम महिलाओं को कोई भी अधिकार प्राप्त न है। मुस्लिम महिला पदा, प्रथा, अशिक्षा, अज्ञानता शोषण का शिकार हैं। महिलायें कोई तरक्की नहीं करती क्योंकि उन्हे अधिकार नहीं है।

आपको ये जानके आश्चर्य होगा कि इस्लाम ही पहला धर्म था जितने महिलाओं की शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। अन्तिम पैगम् मुहम्मद साहब का कहना था कि 'अपनी बेटियों को शिक्षा दो उन्हें शिक्षित बनाओं''

इस प्रकार इस्लाम महिलाओं को इतने अधिकार देता है कि उसके जीवन में खुशियों तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता है। पर इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस्लाम में इतने अधिकार होने के बावजूद भी इन अधिकरों और अपने हकूक के बारे में महिलाओं को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसे या तो जानकारी का न होना या फिर इन अधिकारों को दूसरे रूप में पेश तोड़ मरोड़ के बताना जिसके वजह से सही महिला अधिकारों की जानकारी खुद औरतों को नहीं हो पाती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम महिलाओं के इन सभी अधिकारों के बारे में सही जानकारी प्रदान की जाये।

सभी अधिकार जो उन्हें बेटी होने के नाते, बीवी होने के नाते, भी होने के नाते, विवाह से पहले विवाह के बाद जीने के अधिकार सभी प्राप्त कर सकें। तभी कुरआन तथा हदीस शरीफ का सही से पालन होना तथा औरत जिसकी दूर वास्तव में अपनी जिन्दगी की तरक्की खुशहाली तथा विकास की राह पे ले जा पायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मुर्तजा मुस्ताहारी –'दि राइट्स ऑफ वोमेन इन इस्लाम तेहरान (ईरान) पेज न0 70,71
2. अ० बाबर कजतबाश–लाल बाग लखनऊ, द्विभाषी सस्करण 2005–प्र0 सं0 66
3. अल बुखारी शरीफ (हदीस) 840/2
4. यावरर– कजलबक्श–मुस्लिम विधि के सिद्धान्त प्र० स०–58

5- www-Islamsabkeliye.com
6- कुरआन शरीफ–सूरा–8. आयत–क–9
7- कुरआन शरीफ सूरा–16 आयत–58,59
8- यावर–कजलबख्श–मुस्लिम विधि को सिद्धान्त प्र० स० 58
9- कुरआन–सूरा आयत–4
10- कुरआन–सूरा–4 आयात–20
11- कुरआन सूरी– आयात–19
12- बाबर–काजलबख्श मुस्लिम विधि के सिद्धान्त प्र०
13- मौलाना अब्दुल समद रहमानी– इस्लाम में औरत का मुकाम' दीनी बुक डिपो उर्दू बाजार नई दिल्ली।
14- यावन–कजलबकश– 'मुस्लिम विधि के सिद्धान्त' प्र० स० 70
15- तदेव
16- मलिक असगर हाशमी 'फतवों से आगे उदार होने का समय' लेख दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनाक 24. 08.15
17- कुरआन शरीफ–सूरा 17. आयत 23.24
18- namarianjuman.blogspot.in
19- www.Youtube.com
20- www.Youtube.com